परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

संख्या–4782एलएएस / 12–1197एलएएस / 12 दिनांक : दिस0 :2012

1–प्रधान प्रबन्धक(के0का0 / डा0रा0म0लो0),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
कानपुर ।
2–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।
3–समस्त सहायक विधि अधिकारी / स0क्षे0प्र0(का0),
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–प्रबन्ध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दि0 23–11–2012 को आयोजित क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं सेवा प्रबन्धकों की समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक ।

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23–11–2012 को सम्पन्न क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं सेवा प्रबन्धकों की समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त से संबंधित पत्रांक–324एसटी / 2012–38एसटी / 90 दिनांक 13–12–2012 का संदर्भ ग्रहण करें।

वर्णित कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–20 में निर्देशित किया गया है कि "किसी वाद में वकील के बदलने की स्थिति में उस वाद से संबंधित समस्त अभिलेख निगम पैरोकार द्वारा स्वयं नये वकील को उपलब्ध करा दिया जाय तथा वाद में अनावश्यक विलम्ब न हो, इस हेतु किसी भिज्ञ व्यक्ति द्वारा ही वाद से संबंधित पैरावाइज कमेन्ट्स वकील को सुलभ कराया जाय"।

उक्त के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी वाद में अधिवक्ता बदला जाता है तो उस वाद से संबंधित पत्रावली / अभिलेख निगम पैरोकार के माध्यम से जिस अधिवक्ता को संबंधित वाद की पैरवी हेतु आबद्व किया गया हो, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जाय। किसी वाद से संबंधित प्रस्तरवार आख्या भिज्ञ अधिकारी / कार्मिक द्वारा ही तैयार करके संबंधित अधिवक्ता को समयान्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

(सुधीर दीक्षित)
अपर प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–1–मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को पत्रांक–324एसटी / 2012–38एसटी / 90 दिनांक 13–12–2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–निजी सचिव / स्टाफ आफीसर, प्रबन्ध निदेशक एवं सहायक प्रबन्धक, अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(सुधीर दीक्षित)
अपर प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com